

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

प्र० सं० 31/2018

उप तहसीलदार छानी बड़ी जरिए जगदीश प्रसाद पुत्र श्री किशना राम जाति मीणा निवासी लम्बोर छिम्पियान तहसील राजगढ़ जिला चूरु ।

— प्रार्थी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र श्री मंगतुराम जाति बाल्मिकी निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
2. ग्राम पंचायत छानी बड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत छानी बड़ी तहसील भादरा ।
3. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति भादरा तहसील भादरा ।

— अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय दिनांक : 31.08.2018 पत्रांक : 2831/2018 बअनवानी स्टेट बनाम रामकिशन आदि वापिस लौटाई गई पत्रावली को स्वीकार किये जाने बाबत एवं जोहड़ पायतन की भूमि पर जारी किये गये पट्टों पट्टा दिनांक : 11.11.1974 को निरस्त किये जाने बाबत ।

निर्णय

दिनांक : 02.03.2021

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :-

1. प्रार्थी ने बअदालत उप तहसीलदार (राजस्व) छानी बड़ी द्वारा अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा के पत्रांक : 2831 दिनांक : 31.08.2018 के विरुद्ध निगरानी पेश करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने एक अपील इस आशय से पेश की है ।
2. यह है कि ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. के खसरा नं० 90 की 0.885 है० व 91 की 0.1010 है० कुल 0.9860 है० भूमि गैर मुमकिन जोहड़ पायतन पाल है जिसमें 3000 वर्ग फुट पर रामकिशन पुत्र मंगतुराम जाति बाल्मिकी ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है तथा उसने अपने अतिक्रमण वाली जगह के अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के साथ साजबाज कर पट्टे क्रमशः माता बक्स पुत्र उदमीराम जाति बाल्मिकी निवासी छानी बड़ी के नाम पट्टा नं० 0 दिनांक : 11.11.1974 तादादी 25 गुणा 30 वर्ग फुट का जारी करवा लिया है ।
3. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 2 ग्राम पंचायत को छानी बड़ी को केवल आबादी भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशन पुत्र मंगतुराम जाति बाल्मिकी ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत छानी बड़ी से दुःरभि सन्धि करके करके राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने के गरज से ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. जो खसरा नं० 90 की 0.885 है० एवं 91 की .1010 है० कुल 0.9860 है० गैर मुमकिन जोहड़ पायतन पाल है जिसमें 3000 वर्ग फुट जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है, जो आबादी भूमि से अलग है, जो रिकार्ड में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन पल दर्ज है, को बिना अधिकार के खिलाफ कानूनन् अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत से मिली भगत कर माता बक्स पुत्र उदमीराम व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बिना अधिकार खिलाफ कानून पट्टे जारी कर जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
नोहर (हनुमानगढ़)

4. विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध उक्त अतिक्रमण के लिए प्रार्थी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत दिनांक : 24.11.2014 को अतिक्रमी घोषित किया जा चुका है।

4 यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 विधि विरुद्ध जोहड़ पायतन पाल की जगह पर गैर कानूनी ढंग से उनके पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 जारी तथाकथित पट्टे के आधार पर अपने अतिक्रमण को पुख्ता करने के लिए निर्माण पर तुले हुए हैं एवं पट्टे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर अतिक्रमण हटाने जाने की सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं जिससे प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति हो रही है। इस लिए उक्त पट्टे तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया है। उक्त पट्टा को विधि विरुद्ध जारी होना बताते हुये व पट्टा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद बताते हुए खारिज किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रार्थी द्वारा अपील पेश की गई परन्तु मातहत अदालत द्वारा मात्र एक पत्रांक के आधार पर अपील मूल ही उचित हेतु वापिस लौटा दी गई कि अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 61(1) के तहत समय अवधि 30 दिवस अधिक होने पर स्वीकार नहीं की जा सकती है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील वापिस लौटाई जाने से व्यथित होकर प्रार्थी निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

(क) यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा 5 सी.एच.एन जो खसरा नं० 90 की 0.885 है व 91 की 0.1010 है कुल 0.9860 है 0 भूमि गैर मुमकिन जोहड़ पायतन पाल है जिसमें 3000 वर्ग फुट में से अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के साथ साजबाज कर पट्टे क्रमशः : माता बक्श पुत्र उदमीराम जाति बाल्मिकी निवासी छानी बड़ी के नाम पट्टा नं० 0 दिनांक : 11.11.19974 तादादी 25 गुणा 30 वर्ग फुट का जारी करवा लिया है। अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा जारी पट्टे जो कि रिकार्ड में गैर मुमकिन पाल दर्ज है, का पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया था एवं ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा जारी पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया था जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अपील पेश की गई थी एवं मातहत अदालत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपना कर मूल ही पत्रावली वापिस लौटा दी गई एवं मातहत अदालत द्वारा कतई गलत तौर से पत्रावली वापिस लौटाई गई है एवं उपरोक्त निर्णय विधिक अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है।

(ख) यह कि अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा पाल की भूमि पर जारी किये हैं न कि आबादी भूमि पर जारी किये हैं जो अपास्तनीय है।

(ग) यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर मातहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया है एवं मातहत अदालत द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपना कर पत्रावली लौटा दी गई जो कतई नियम विरुद्ध एवं बिना विश्लेषण के निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर निगरानी अधीन निर्णय दिनांक : 31.08.2018 पत्रांक : 2831/2018 दिनांक : 11.11.1974 को निरस्त फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 1 घर पर हाजिर नहीं मिला नोटिस की प्रति अप्रार्थी की पुत्रवधु को देकर तामील करवाई गई । दिनांक : 13.09.2019 को उप तहसीलदार छानी बड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) पेश किया जो शामिल पत्रावली है । मूल पट्टाधारक माता बक्श पुत्र उदमीराम जाति बाल्मिकी के नाम से बना हुआ है परन्तु माता बक्श पुत्र उदमीराम जाति बाल्मिकी निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा फौत हो चुका है जिनके वारिस रूलीराम पुत्र माता बक्श का जरिये नोटिस तलब किया गया । रूलीराम घर पर उपस्थित नहीं मिला । तामील आबाद मकान पर चस्या होने पाई गई परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 उपस्थित नहीं । इनके उपस्थित नहीं आने के कारण अनुपस्थिति दर्ज की जाती है ।

पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी चक 5 सी.एच.एन. संवत् 2073-2076 के खसरा नं० 90 की 0.885 है० व 91 की 0.1010 है० कुल 0.9860 है० भूमि की किस्म गैरमुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस श्रेणी की भूमि को अन्य उद्देश्य के लिए आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट (पीआईएल) सं० 1554/04 निर्णय दिनांक : 12.01.17 अनवान गुलाब बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य तथा डी.बी.सिविल रिट सं० 1536/03 निर्णय दिनांक : 02.08.2004 अनवान अब्दुल रहमान बनाम स्टेट व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि नदी, नाला, वन विभाग एवं कैचमेण्ट एरिया में स्थित भूमि को अन्य किसी उद्देश्य के आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता । चूंकि हस्तगत निगरानी में जो आवासीय पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं, वह जोहड़ की भूमि की पायतन (पाल) पर जारी किये गये हैं । ऐसे विधि विरुद्ध पट्टों को उक्त न्यायिक दृष्टान्तों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है ।

अतः राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर हस्तगत पट्टा दिनांक : 11.11.1974 साईज 25 गुणा 30 वर्गफुट जो माता बक्श पुत्र उदमीराम जाति बाल्मिकी निवासी छानी बड़ी के नाम ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक : 11.11.1974 को जारी किया गया है, को निरस्त किया जाता है ।

यह निर्णय आज दिनांक : 02.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत से जारी किया गया ।

(~~अतिरिक्त, जिला कलेक्टर~~)  
अतिरिक्त, जिला कलेक्टर  
नोहर (हनुमानगढ़)